reading the motion, we cannot accept it. It is the right of the Member to discuss it.

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, it is only for moving the motion that the consent of the Speaker is needed. Once it is moved, it is the property of the House and any Member can speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

Motion moved:

> "That this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the Motions for taking into consideration and passing of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Bill, 1996, inasmuch as it is dependent upon the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि यह जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, यह ऐसे दो विधेयकों को यहां बहस के लिए लाने के लिए रखा गया है जिन विधेयकों का अपना इतिहास है। यह विधेयक 1988 में पहली बार राज्य सभा में पेश हुआ था।

(Z/1255/bks-krr)

राज्य सभा में 1988 में यह विधेयक पेश होने के बाद इसके बारे में लोक सभा की पिटीशन्स कमेटी के सामने, हिंदुस्तान भर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन श्रमिकों की तरफ से बनी हुई कमेटी है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, जिसमें देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों की शिरकत है, जिसमें देश के वैचारिक विभाजन के बावजूद सभी केन्द्रीय संगठनों की शिरकत है और इस संगठन की ओर से पिटीशन्स कमेटी के सामने यह पिटीशन दी गयी थी। उस पिटीशन कमेटी ने 25 जुलाई 1989 को इस पर इस सदन में जो सिफारिश की थी उसको उपाध्यक्ष जी मैं कोट कर रहा हूं -

> "The Committee recommends that the Bill pending in the Rajya Sabha be withdrawn and a fresh Bill be introduced so as to cater to the long-felt demands of hitherto neglected segment of the working class."

It further says and I quote :

> "The Committee desires that the legislation proposed by the Campaign Committee may be examined, considered and all good features thereof may be suitably incorporated in the Government Bill."

I was mentioning about this. It further says and I quote :

> "It is for the Government to ensure that the legislation which is finally created encompasses all the above features to the extent practicable."

इस आधार पर इस सिफारिश के बाद यह विधेयक तत्कालीन मजदूर मंत्री श्री बिंदेश्वरी दूबे ने वापस ले लिया। बाद में इस पर बहस चलती रही, मजदूरों में बहस चलती रही, सरकार के साथ संवाद चलता रहा और बार-बार यह वादा भी किया गया कि इस विधेयक में सुधार करके इसे यहां रखा जाएगा। यह विधेयक चुनाव के पहले आया था, तब फिर एक बार लोग उत्तेजित हो गये, कमेटी में इस बारे में बहस हो गई और बहस करके कमेटी ने इस सवाल पर कुछ नये प्रस्ताव वगैरह लोगों के सामने रखे और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सारे राजनीतिक दलों को इसके बारे में कमेटी की जो राय थी, उस राय को भेज दिया। अब उपाध्यक्ष जी, जनता दल ने इस पर विशेष तौर पर गौर करके अपने घोषणा पत्र में दो वाक्य लिखे। 1996 के लोक सभा के चुनाव के पहले के घोषणा पत्र में यह कहा था -

> "The Construction Workers' Ordinance shall be revised substantially to remove anti-workers biases."

It further says and I quote :

> "The Construction Workers' Ordinance will be replaced by a law on the lines of the recommendations of the Petitions Committee of Lok Sabha."

आज यहां पर जनता दल के दो-तीन केबिनेट मंत्री बैठे हैं। इस घोषणा पत्र को लिखने में उन लोगों का हाथ रहा है। इस घोषणा पत्र पर उन्हें देश के लोगों का वोट मिला है और उसके आधार पर यहां पर सरकार बनी है। वचन यह दिया था और वचन मात्र नहीं बल्कि इस पर अपनी एक राय भी दी थी कि यह जो विधेयक है, यह जो आर्डीनेंस के आधार पर है। This has anti-workers' biases. और आज उस एण्टी वर्कर बॉयसेस वाले विधेयक को उस वचन को भंग करके सदन के सामने इस तरह से लाना, उसके लिए नियम को सस्पेंड करने की बात करना उपाध्यक्ष जी यह कहां तक न्यायोचित है, कहां तक नैतिक है और यह कहां तक उन मजदूरों के बारे में जिनके विषय में आपने इस चीज को लिखा था कि हम इस विधेयक को, इस आर्डीनेंस को बदलेंगे और एक नया विधेयक यहां पर लायेंगे, तो कहां तक यह चीज उचित है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अगर कोई यह कहे कि वह तो जनता दल

का वादा था और अब तो जनता दल के कार्यक्रम पर हम नहीं बैठे हैं। यह जो यूनाइटेड फ्रंट का कॉमन मिनीमम प्रोग्राम है हम तो उस पर बैठे हैं। 10 जून 1996 को श्री राम विलास पासवान के हस्ताक्षर पर मिला हुआ दस्तावेज है।

I am enclosing herewith a copy of the Common Minimum Programme of the United Front Government for your information.

अब उपाध्यक्ष जी, इस सूचना के आधार पर इनके कार्यक्रम में जो बात इस सम्बन्ध पर लिखी है उसकी ओर मैं आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(aa/1300/san-nkr)

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, the hon. Member is speaking on the merits of the Bill. At this stage, it is a matter of suspension of Rule 66. Therefore, I do not think that it is necessary at this stage.

SHRI GEORGE FERNANDES: I am not on the merits of the Bill. I am saying why it is immoral to bring it.

पिटीशन्स कमेटी ने जो सिफारिशें की है, आप खड़े होकर कहिए कि उन सिफारिशों की सदन में कोई कीमत नहीं है । फिर इस साल पिटीशन्स कमेटी के लिए चुनाव मत करिए क्योंकि अगर उसमें बैठकर वहां केवल चाय पीनी है, दो सैशन्स के बीच में भत्ता लेना है ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Fernandesji, you may take up morality later on.

SHRI GEORGE FERNANDES: I am not talking about morality only. I am talking on a legal issue also. I am talking on the issue of the dignity of this House. What about the Petitions Committee of this House?

आप बताईये कि इस सदन के द्वारा चुनी हुई पिटीशन्स कमेटी की कीमत क्या है । यदि आप ऐसा कहना चाहते है कि पिटीशन्स कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, वे सिफारिशें are not worth the paper on which they are written.

फिर आप पिटीशन्स कमेटी को बरखास्त कर दीजिए । हम लोगों के साथ यह मजाक क्यों कर रहे हैं ।

अब मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ रहा हूं । इसमें लिखा है -

"Some laws have been made in respect of labour in the unorganised sector. These laws will be strengthened and where

necessary, new laws will be made to protect the interest of such labour, particularly, in the construction and beedi rolling industry."

यह आपका प्रोग्राम है, आपका कार्यक्रम है और आज आप उस कानून को यहां पर हम लोगों के सामने ला रहे हैं जिसके बारे में आपने खुद लिखा है, देश के सामने वादा किया है कि हम इसे बदलेंगे क्योंकि यह मजदूर विरोधी है ।

सभापति जी, पिटीशन्स कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर अमल करना इस सदन का कर्तव्य मैं मानता हूं । आप या तो आप सदन में कहिए कि उन्हें नहीं माना जाएगा । इस सरकार को बनाते समय आपने कहा था कि यह हमारा मिनिमम प्रोग्राम है । अगर उस कार्यक्रम की कोई गरिमा है, इज्जत है, जिस कागज पर आपने हम सब लोगों को उतरे लिखकर भेजा है, अगर उसकी कोई इज्जत है तो फिर विशेषकर हम राम विलास जी से चाहेंगे, क्योंकि उनके हस्ताक्षरों से यह कागज हम सब लोगों को भेजा गया है, कि वे सदन में खड़े होकर कहें कि इसमें जो कुछ लिखा है, आज उसकी कोई कीमत नहीं है, आज वही कानून आ जाएगा जो 1988 में बना था, बीच-बीच में जिसमें कुछ सुधार किए गए थे और मजदूरों के लिए जो खतरनाक था, आज उसी कानून को लाया जाएगा।

हिन्दुस्तान में किसी भी क्षेत्र के मजदूरों को आप देख लीजिए, सबसे अधिक संख्या उनमें कन्सट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की है और सबसे ज्यादा उनका शोषण होता है । क्या यह नई सरकार, कौमन मिनिमम प्रोग्राम वाली सरकार, सी.पी.एम. की मदद से बैठी हुई सरकार, जिसमें सी.पी.आई. के लोग मंत्री बनकर बैठे हैं, आज तक इन सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया, जिसमें मैं भी शामिल था, कृष्णा अय्यर की कमेटी में हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, क्या अब उस कमेटी की इज्जत रखी जाएगी क्योंकि सारे देश के मजदूर आन्दोलन में आप सब पार्टियों की जो शिद्दत थी, काम था, उस इज्जत को क्या आज सदन के अंदर बिल्कुल उतारा जाएगा ।

उपाध्यक्ष जी, यहां मामला केवल नैतिकता का ही नहीं है या मौरेलिटी का ही नहीं है, मामला पिटीशन्स कमेटी के फैसले का भी है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को आप अस्वीकार कर दीजिए और इस बिल को विदड्रा करने के लिए आपकी तरफ से आदेश होना चाहिए ।

SHRI NIRMAL KANTI CHATTERJEE (DUMDUM): Sir, I am on a point of order ...(Interruptions).

JUSTICE GUMAN MAL LODHA (PALI): I have raised an objection regarding the maintainability of this matter ...(Interruptions).